BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 102 OF 2023

IN THE MATTER OF:

NEERAJ CHHACHHAR AND ANR. ...PETITIONERS

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND AND ORS ...RESPONDENTS

INDEX

S. No.	Particular	Page No.
1.	Status Report on behalf of Haridwar Roorkee Development Authority (HRDA) with affidavit	1-4
2.	**ANNEXURE-A** True Copy of the Action Taken Report dated 02-05-2024	5-10
3.	Vakalatnama	11-12

THROUGH

Himanshu

Himanshu Handa, Sanya Panjwani
Chambers of Mr. Ankur Khandelwal
Advocates for HRDA
G-33, Greater Kailash-II, New Delhi-110 024
Phone No: 9999774545

Date: 09.05.2024
Place: New Delhi

NOTARY
नाम - RAM GOPAL AGARWAL
क्षेत्र - HARIDWAR
पंजी संख्या - 8475
GOVT. OF INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 102 OF 2023

IN THE MATTER OF:

NEERAJ CHHACHHAR AND ANR. ...PETITIONERS

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND AND ORS ...RESPONDENTS

STATUS REPORT ON BEHALF OF HARIDWAR ROORKEE DEVELOPMENT AUTHORITY(HRDA)

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:

1. That in the present original application, the issue alleges construction of residential apartments at Beliram Ashram, Kankhal, Haridwar and it is alleged that the construction is being done in violation of environmental norms including the Scheduled Enactments under NGT Act, 2010 and the said construction activities are causing pollution by discharging sewage, dumping of construction waste and other waste directly in the river Ganga.

2. The Haridwar Roorkie Development Authority("**HRDA**")is an authority set up under the Uttarakhand Urban and Country Planning and Development Act, 1973 ("**Act**"), to promote and secure the development of the development area according to plan in the district of Haridwar and Roorkee and for that purpose the authority shall have the

NOTARY नाम - RAM GOPAL AGARWAL क्षेत्र - HARIDWAR पंजी संख्या - 8475 GOVT. OF INDIA

power to acquire, hold, manage and dispose of land and other property, to carry out building, engineering, mining and other operations, to execute works in connection with the supply of water and electricity, to dispose sewage, to provide and to maintain other services and amenities and generally to do anything necessary or expedient for purposes of such development.

3. That as per Section 14 of the Act, no development of land shall be undertaken or carried out or continued within the development area without prior permission of the local development authority and if there is any contravention of the same, the provisions of penalty provided for in Section 26 of the said Act, provisions of demolition provided for in Section 27 of the said Act, provisions of stop development provided for in Section 28 of the said Act and provisions regarding sealing of unauthorized development contained in Section 28-A of the said Act shall come into operation.

4. Apart from the approval of the HRDA, any construction also requires consent from the Uttarakhand Pollution Control Board ("**UKPCB**"). As per the Joint Reply filed on behalf of the Project Proponents, it appears that the Project Proponents have valid consent from the Uttarakhand Pollution Control Board till 30-09-2024 to carry out construction activity in the said area.

5. As per the Joint Reply filed on behalf of the Project Proponents themselves, they have filed litigation against

NOTARY
नाम – RAM GOPAL AGARWAL
क्षेत्र – HARIDWAR
पंजी संख्या – 8475
GOVT. OF INDIA

HRDA for de-sealing of the Property/shops in the BeliramAshram area. The stand of the HRDA is that the use of the Beliram Ashram land was converted from residential use to commercial use. Thus, the construction in question was unauthorized and therefore, the shops/commercial establishments in question ought to be sealed.

6. As of date, the HRDA has sealed the Property/shops on account of unauthorised construction in view of deviation from the approved plan.

7. That the Action Taken Report dated 02-05-2024 inter alia refers to the chronology of the submission of the map related to the construction in the area in question for approval of the HRDA, One Time Settlement , application pertaining to the dispute regarding seal to be affixed on the map with regard to area in question. True Copy of the Action Taken Report dated 02-05-2024 is annexed as **ANNEXURE-A**.

Secretary
Haridwar-Roorkee Development Authority

Date: 09.05.2024
Place: New DelhiFiled by:

Himanshu Handa, Sanya Panjwani
Chambers of Mr. Ankur Khandelwal
Advocates for HRDA
G-33, Greater Kailash-II, New Delhi-110 024
Phone No: 9999774545

NOTARY
नाम - RAM GOPAL AGARWAL
क्षेत्र - HARIDWAR
पंजी संख्या - 8475
GOVT. OF INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 102 OF 2023

IN THE MATTER OF:

NEERAJ CHHACHHAR AND ANR. ...PETITIONERS

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND AND ORS ...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

R. N 312
9.5.24

1. I, Sri Uttam Singh Chauhan (Male), aged about 57 ,S/o Shri Chaitram R/o Mayapur Haridwar presently at Secretary, Haridwar Roorkee Devlopment Authority, do hereby solemnly affirm and state as under.
2. That I am the present Secretary of the Haridwar-Roorkee Development Authority, and am authorized to swear the present affidavit. I am well conversant with the facts and circumstances of the case and present report based on official records.
3. That the accompanying Status Report has been drafted based on the information and records maintained by the Haridwar-Roorkee Development Authority in its usual course of working and believed to be true and correct.
4. That the contents of the accompanying report are true and correct in my knowledge based on the above-mentioned records.

NOTARY GOVT. OF INDIA
NOTARIAL
नाम - RAM GOPAL AGARWAL
क्षेत्र - HARIDWAR
पंजी संख्या - 8475
NOTARIAL

Solemnly affirmed at Haridwar on this 09 day of May, 2024 before me.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of Para No. 1 to 3 of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false. Nothing material has been concealed therefrom.

IDENTIFIED BY
Gopal Krishan Sharma
Advocate
Regn. No. UP 4583/87, UK 1636/2004
District & Session Court
Haridwar (U.K.)

DEPONENT

ATTESTED
9.5.24
RAM GOPAL AGARWAL
ADVOCATE
NOTARY GOVT. OF INDIA
HARIDWAR

संयुक्त आख्या / Action Taken Report

सं0: 422 /नो0/कन0/318/2020–21 दिनांक: 02 मई, 2024

जिलाधिकारी हरिद्वार

महोदय,

कृपया अपने आदेश आदेश संख्या 738/एल0बी0ए0–2024 दिनांक 29.04.0204 जिसके द्वारा मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के क्रम में समिति गठित की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के अनुपालन में दिनांक 01.05.2024 को कार्यालय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार में उक्त समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक में हुए विचार–विमर्श उपरान्त वांछित बिन्दुवार आख्या / Action Taken Report निम्नवत् है :–

बिन्दु संख्या	विवरण	वांछित आख्या / Action Taken Report
1–	क्या बेली राम आश्रम कनखल हरिद्वार के समीप हो रहे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माण कार्य से गंगा नदी में सीवेज, कन्शट्रक्शन वेस्ट तथा अन्य वेस्ट सीधे गंगा में डाला जा रहा है, जिससे गंगा नदी प्रदूषित हो रही है ?	अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, जगजीतपुर, हरिद्वार, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार तथा अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार वर्तमान में बेली राम आश्रम कनखल हरिद्वार के समीप हो रहे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माण कार्य से सीवेज, कन्शट्रक्शन वेस्ट तथा अन्य वेस्ट सीधे गंगा में नहीं डाला जा रहा है।
2–	उक्त अपार्टमेन्ट निर्माण की अनुमति सक्षम सक्षम स्तर से ली गयी है कि नहीं, जैस–	
	1– एच0आर0डी0ए0 से हां तो कब ली गयी।	अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार भू–स्वामी द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर पूर्व में पृथक– पृथक मानचित्र संख्या HRDA/R/0423/18-19 दिनांक 04.06.2018 को एवं HRDA/R/0424/ 18-19 दिनांक 15.06.2018 को प्रस्तुत किया गया, जोकि प्राधिकरण से दिनांक 08.08.2019 में स्वीकृत कराते हुए निर्माण कार्य चालू किया गया था। स्थल पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र से विचलन किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामी श्री निर्दोष कुशवाहा आदि के नाम से वाद संख्या नो0/कन0/411/2019–20 दिनांक 19.11.2019 में योजित एवं श्री आशीष टुल्ली के नाम से नो0/कन0/318/2020–21 दिनांक 07.10.2020 को योजित किया गया। तदोपरान्त श्री निर्दोश कुशवाहा आदि द्वारा अनाधिकृत निर्माण को शमन कराये जाने हेतु आवेदन संख्या HRDA/NC/OTS/ 0111/21-22 प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 27.07.2023 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपरोक्त ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत स्वीकृत शमन मानचित्र से पुनः विचलन करते हुए भू–स्वामी द्वारा निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा निर्माण को दिनांक 01.11.2023 द्वारा सील किया गया है। वर्तमान में प्रश्नगत सम्पत्ति सील अवस्था में है। विपक्षी द्वारा पुनः ओ0टी0एस0 2024 के अन्तर्गत सील सुदा भवन को शमन कराने हेतु आवेदन संख्या HRDA/NR/OTS/0003/24-25दिनांक 04.04.2024 को प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि परीक्षण में विचाराधीन है।

NOTARY ★ नाम – RAM GOPAL AGARWAL क्षेत्र – HARIDWAR पंजी संख्या – 8475 ★ GOVT. OF INDIA

S.N.A

	2– प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'हां' तो कब ली गयी।	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जलवायु अधिनियमों के अन्तर्गत उक्त अपार्टमेन्ट को बोर्ड से सी0सी0ओ0(Consolidated Consant to Operate) दिनांक 07.06.2023 को निर्गत किया गया है जिसकी वैधता अवधि 30.09.2024 तक है।
	3– बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) के संबंध में सिंचाई विभाग से 'हां' तो कब ली गयी।	अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, सिचांई खण्ड, हरिद्वार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 117 दिनांक 13.05.2022 की छायाप्रति संलग्न है।
3–	क्या प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी से 130 मीटर की दूरी की परिधि में हो रहा है। इस संबंध में मा0 एन0जी0टी0 का हालिया/ वर्तमान प्रावधान क्या है ?	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी से 130 मी0 की दूरी की परिधि में नहीं हो रहा है बल्कि बाढ़ परिक्षेत्र अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत इस खण्ड द्वारा चिन्हित् की गयी बाढ़ आवर्ती रेखा से बाहर लगभग– 130 मी0 की दूरी पर हो रहा है तथा निर्माण गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्र में नहीं आ रहा है।
4–	क्या प्रश्नगत ऐरिया गंगा रिजुवरेशन आदेश–2016 के अन्तर्गत डिमार्केटेड है ?	संबधित विभाग से आख्या ली जानी उचित होगी।
5–	क्या प्रश्नगत ऐरिया बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत है ?	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार प्रश्नगत ऐरिया बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं आता है।
6–	बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) से प्रश्नगत निर्माण स्थल की दूरी कितनी है ?	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) से प्रश्नगत निर्माण स्थल की दूरी लगभग 130 मी0 है।
7–	भविष्य में प्रश्नगत स्थल में गंदे पानी की निकासी एवं सीवेज निकासी की क्या व्यवस्था होगी ?	वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, हरिद्वार तथा अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, जगजीतपुर, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार भविष्य में गंदे पानी की निकासी हेतु अन्य समीपस्थ क्षेत्रों हेतु जो कार्ययोजना /व्यवस्था बनायी जायेगी, उसमें प्रश्नगत निर्माण/ भवन को भी सम्मिलित किया जायेगा। सीवेज निकासी के लिए सीवर संयोजन नियमित है।

2/5/24 02/05/2024

सदस्य/क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूड़की।

सदस्य/अधिशासी अभियन्ता,
अनुरक्षण शाखा (गंगा),
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
जगजीतपुर, हरिद्वार।

सदस्य/सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, हरिद्वार

02.5.24 02/5/24

सदस्य/अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

सदस्य/नगर मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार

अध्यक्ष/सचिव,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

NOTARY
नाम – RAM GOPAL AGARWAL
क्षेत्र – HARIDWAR
पंजी संख्या – 8475
GOVT. OF INDIA

संयुक्त आख्या / Action Taken Report

संः /नो0/कन0/318/2020–21 दिनांकः मई, 2024

जिलाधिकारी हरिद्वार

महोदय,

कृपया अपने संख्या 738/एल0बी0ए0–2024 दिनांक 29.04.0204 जिसके द्वारा मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मूल आवेदन संख्या 102/2023 नीरज छाछर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के क्रम में समिति गठित की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के अनुपालन में दिनांक 01.05.2024 को कार्यालय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार में उक्त समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक में हुए विचार–विमर्श उपरान्त वांछित बिन्दुवार आख्या / Action Taken Report निम्नवत् है :–

बिन्दु संख्या	विवरण	वांछित आख्या / Action Taken Report
1–	क्या बेली राम आश्रम कनखल हरिद्वार के समीप हो रहे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माण कार्य से गंगा नदी में सीवेज, कन्शट्रक्शन वेस्ट तथा अन्य वेस्ट सीधे गंगा में डाला जा रहा है, जिससे गंगा नदी प्रदूषित हो रही है ?	अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, जगजीतपुर, हरिद्वार, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार तथा अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार वर्तमान में बेली राम आश्रम कनखल हरिद्वार के समीप हो रहे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के निर्माण कार्य से सीवेज, कन्शट्रक्शन वेस्ट तथा अन्य वेस्ट सीधे गंगा में नहीं डाला जा रहा है।
2–	उक्त अपार्टमेन्ट निर्माण की अनुमति सक्षम सक्षम स्तर से ली गयी है कि नहीं, जैस–	
	1– एच0आर0डी0ए0 से 'हां' तो कब ली गयी।	अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार भू–स्वामी द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर पूर्व में पृथक– पृथक मानचित्र संख्या HRDA/R/0423/18-19 दिनांक 04.06.2018 को एवं HRDA/R/0424/ 18-19 दिनांक 15.06.2018 को प्रस्तुत किया गया, जोकि प्राधिकरण से दिनांक 08.08.2019 में स्वीकृत कराते हुए निर्माण कार्य चालू किया गया था। स्थल पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र से विचलन किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामी श्री निर्दोष कुशवाहा आदि के नाम से वाद संख्या नो0/कन0/411/2019–20 दिनांक 19.11.2019 में योजित एवं श्री आशीष टुल्ली के नाम से नो0/कन0/318/2020–21 दिनांक 07.10.2020 को योजित किया गया। तदोपरान्त श्री निर्दोश कुशवाहा आदि द्वारा अनाधिकृत निर्माण को शमन कराये जाने हेतु आवेदन संख्या HRDA/NC/OTS/ 0111/21-22 प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 27.07.2023 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपरोक्त ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत स्वीकृत शमन मानचित्र से पुनः विचलन करते हुए भू–स्वामी द्वारा निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा निर्माण को दिनांक 01.11.2023 द्वारा सील किया गया है। वर्तमान में प्रश्नगत सम्पत्ति सील अवस्था में है। विपक्षी द्वारा पुनः ओ0टी0एस0 2024 के अन्तर्गत सील सुदा भवन को शमन कराने हेतु आवेदन संख्या HRDA/NR/OTS/0003/24-25दिनांक 04.04.2024 को प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि परीक्षण में विचाराधीन है।

NOTARY
नाम – RAM GOPAL AGARWAL
क्षेत्र – HARIDWAR
पंजी संख्या – 8475
GOVT. OF INDIA

	2– प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'हां' तो कब ली गयी।	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रूड़की की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जलवायु अधिनियमों के अन्तर्गत उक्त अपार्टमेन्ट को बोर्ड से सी0सी0ओ0(Consolidated Consant to Operate) दिनांक 07.06.2023 को निर्गत किया गया है जिसकी वैधता अवधि 30.09.2024 तक है।
	3– बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) के संबंध में सिंचाई विभाग से 'हां' तो कब ली गयी।	अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, सिचांई खण्ड, हरिद्वार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 117 दिनांक 13.05.2022 की छायाप्रति संलग्न है।
3–	क्या प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी से 130 मीटर की दूरी की परिधि में हो रहा है। इस संबंध में मा0 एन0जी0टी0 का हालिया/ वर्तमान प्रावधान क्या है ?	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी से 130 मी0 की दूरी की परिधि में नहीं हो रहा है बल्कि बाढ़ परिक्षेत्र अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत इस खण्ड द्वारा चिन्हित् की गयी बाढ़ आवर्ती रेखा से बाहर लगभग– 130 मी0 की दूरी पर हो रहा है तथा निर्माण गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्र में नहीं आ रहा है।
4–	क्या प्रश्नगत ऐरिया गंगा रिजुवरेशन आदेश–2016 के अन्तर्गत डिमार्केटेड है ?	संबधित विभाग से आख्या ली जानी उचित होगी।
5–	क्या प्रश्नगत ऐरिया बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत है ?	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार प्रश्नगत ऐरिया बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं आता है।
6–	बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) से प्रश्नगत निर्माण स्थल की दूरी कितनी है ?	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र (Flood Plain Zone) से प्रश्नगत निर्माण स्थल की दूरी लगभग 130 मी0 है।
7–	भविष्य में प्रश्नगत स्थल में गंदे पानी की निकासी एवं सीवेज निकासी की क्या व्यवस्था होगी ?	वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, हरिद्वार तथा अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, जगजीतपुर, हरिद्वार की आख्या दिनांक 01.05.2024 के अनुसार भविष्य में गंदे पानी की निकासी हेतु अन्य समीपस्थ क्षेत्रों हेतु जो कार्ययोजना /व्यवस्था बनायी जायेगी, उसमें प्रश्नगत निर्माण/ भवन को भी सम्मिलित किया जायेगा। सीवेज निकासी के लिए सीवर संयोजन नियमित है।

सदस्य/ क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूड़की।

सदस्य/अधिशासी अभियन्ता,
अनुरक्षण शाखा (गंगा),
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
जगजीतपुर, हरिद्वार।

सदस्य/सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, हरिद्वार

सदस्य/ अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

NOTARY
नाम – RAM GOPAL AGARWAL
क्षेत्र – HARIDWAR
पंजी संख्या – 8475
GOVT. OF INDIA

सदस्य/नगर मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार

अध्यक्ष/ सचिव,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

मा0 एन0जी0टी0 में मूल आवेदन सं0- 102/2023 नीरज लाम्बा एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या:-

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित प्रकरण के सन्दर्भ में जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं0-109/एल0बी0ए0- 2024 दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में सचिव हरिद्वार- रूड़की विकास प्राधिकरण, नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूड़की, अधिक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड हरिद्वार एवं अवर अभियंता जल संस्थान, हरिद्वार की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.02.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य चलता नही पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर एवं प्रथम तल का स्लैब (लिंटर) कार्य पूर्ण पाया गया। भवन निर्माण स्थल पर वर्तमान में कोई निवास नही कर रहा है। अतः उक्त स्थल से किसी भी प्रकार का घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट गंगा नदी में निस्तारित नहीं होता पाया गया। उक्त स्थल हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त की गयी है,जिसकी वैधता दिनांक 30.09.2024 तक है।

निर्माणाधीन स्थल बेलीराम आश्रम के समीप है, परियोजना स्थल पर निरीक्षण के समय बेसमेंट, प्रथम तल जिसमें मुख्य सड़क की दिशा में 14 दुकाने निर्मित की गयी हैं, जिनमें से 06 दुकानों में शटर लगाये गये हैं। एवं द्वितीय तल का स्लैब का कार्य पूर्ण पाया गया। अधिशासी अभियंता, हरिद्वार- रूड़की विकास प्राधिकरण की आख्या दिनांक 19.02.2024 में स्पष्ट किया गया है कि स्थल पर स्वीकृत मानचित्र से भिन्न निर्माण किये जाने पर स्वीकृति से भिन्न निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.11.2023 को सील किया गया है। अग्रेतर गंगा नदी पर स्थल की दूरी पर सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है, कि उक्त भू-खण्ड बाढ़ परिक्षेत्र अधिनियम- 2012 के अन्तर्गत इस खण्ड द्वारा चिन्हित की गयी 100 वर्षीय बाढ़ आवर्ती लाईन से बाहर लगभग- 130 मी0 की दूरी पर स्थित है तथा गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्र में नही आ रही है। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि निर्माणाधीन परियोजना पर बेसमेंट के नीचे से सीवर लाईन गुजर रही है, जिसके बावत जल संस्थान के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया है, कि निर्माणाधीन परियोजना के हाउसिंग कॉमपलैक्स के बेसमेंट में मेन हाल चैम्बर स्थित स्थल पर 600 एम0एम0 डाया की विभागीय ग्रेविटी सीवर लाईन बिछी हुई है जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रही है। उक्त सीवर लाईन के माध्यम से हरिद्वार नगर का लगभग 30 प्रतिशत सीवेज पूर्व से निर्मित भवनों के नीचे से होकर 68 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 जगजीतपुर तक पहुंचता है। भविष्य में यदि सीवर लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो सीवर लाईन के दोनों तरफ पर्याप्त खाली स्थान होना आवश्यक है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(अधिशासी अभियंता)
जल संस्थान, हरिद्वार।

(अधिशासी अभियंता)
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार।

(क्षेत्रीय अधिकारी)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूड़की।

(सचिव)
हरिद्वार- रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

NOTARY
नाम – RAM GOPAL AGARWAL
क्षेत्र – HARIDWAR
पंजी संख्या – 8475
GOVT. OF INDIA

संयुक्त निरीक्षण आख्या

मा0 एन0जी0टी0 में मूल आवेदन सं0– 102/2023 नीरज छाछर एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित प्रकरण के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं0– 109/एल0बी0ए0– 2024 दिनांक 15.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में सचिव हरिद्वार– रूड़की विकास प्राधिकरण, नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रूड़की, अधिक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड हरिद्वार एवं अवर अभियंता जल संस्थान, हरिद्वार की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.02.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के समय उक्त स्थल पर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य चलता नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर एवं प्रथम तल का स्लैप (लिंटर) कार्य पूर्ण पाया गया। भवन निर्माण स्थल पर वर्तमान में कोई निवास नहीं कर रहा है। अतः उक्त स्थल से किसी भी प्रकार का घरेलू उत्प्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट गंगा नदी में निस्तारित नहीं होता पाया गया। उक्त स्थल हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूष नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त की गयी है, जिसकी वैद्यता दिनांक 30.09.2024 तक है।

निर्माणाधीन स्थल बेलीराम आश्रम के समीप है, परियोजना स्थल पर निरीक्षण के समय बेसमेंट, प्रथम तल जिसमें मुख्य सड़क की दिशा में 14 दुकानें निर्मित की गयी हैं, जिनमें से 06 दुकानों में शटर लगाये गये हैं। एवं द्वितीय तल का स्लैब का कार्य पूर्ण पाया गया। अधिशासी अभियंता, हरिद्वार– रूड़की विकास प्राधिकरण की आख्या दिनांक 19.02.2024 में स्पष्ट किया गया है कि स्थल पर स्वीकृत मानचित्र से भिन्न निर्माण किये जाने पर स्वीकृति से भिन्न निर्माण की प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.11.2023 को सील किया गया है, कि उक्त भू–खण्ड वाड़ परिक्षेत्र अधिनियम– 2012 के अन्तर्गत इस खण्ड द्वारा चिन्हित् की गयी 100 वर्षीय वाड़ आवरती लाईन गुजर रही है, जिसके बाबत जल संस्थान के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया है, कि निर्माणाधीन परियोजना के हाउसिंग कॉमपलैक्स के वेसमेंट में मेंन हाल चैम्बर स्थित स्थल पर 600 एम0एम0 डाया की विभागीय ग्रेविटी सीवर लाईन बिछी हुई है जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रही है। उक्त सीवर लाईन के माध्यम से हरिद्वार नगर का लगभग 30 प्रतिशत सीवेज पूर्व से निर्मित भवनों के नीचे से होकर 68 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 जगजीतपुर तक पहुंचता है। भविष्य में यदि सीवर लाईन क्षतिग्रस्त होती है तो सीवर लाईन के दोनों तरफ प्रयाप्त खाली स्थान होना आवश्यक है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(अधिशासी अभियंता)
जल संस्थान, हरिद्वार।

(अधिशासी अभियंता)
सिंचाई खण्ड, हरिद्वार

(क्षेत्रीय अधिकारी)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
रूड़की।

(सचिव)
हरिद्वार– रूड़की विकास
प्राधिकरण, हरिद्वार।

NOTARY
नाम – RAM GOPAL AGARWAL
क्षेत्र – HARIDWAR
पंजी संख्या – 8475
GOVT. OF INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 102 OF 2023

IN THE MATTER OF:

NEERAJ CHHACHHAR AND ANR. ...PETITIONERS

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND AND ORS ...RESPONDENTS

VAKALATNAMA

KNOW ALL to whom these presents shall come that I, ________________,Secretary of- Haridwar Roorkee Development Authority(HRDA), the above **Respondent No. 10**do hereby appoint:

Chambers of Ankur Khandelwal
G-33 (Lower Ground Floor), Greater Kailash – II, New Delhi – 110 048

ANKUR KHANDELWAL / SANYA PANJWANI / HIMANSHU HANDA

(hereinafter called the Advocate) to be our Advocate in the above noted case and authorise it:

To act, appear and plead in the above noted case;

To sign, file, verify and present pleadings and to file replies as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages;

To file and take back documents;

To withdraw, compromise the said case;

To take out execution proceedings;

To deposit, withdraw and receive monies, cheques and amounts, refunds, etc., and grant receipt thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case;

To appoint and instruct any other legal practitioner authorising him to exercise the powers and authorities hereby conferred upon the Advocate

NOTARY
नाम – RAM GOPAL AGARWAL
क्षेत्र – HARIDWAR
पंजी संख्या – 8475
GOVT. OF INDIA

whenever he/they may think fit to do so and to sign the power of attorney on my/our behalf;

And I/we undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his/their substitute in the matter as my/our own act/s, as if done by me/us to all intents and purposes;

And I/we undertake that I/we or my/our duly authorised agent would appear on all hearings;

And I/we the undersigned do hereby agree not to hold the Advocate or his substitute, responsible for the result of the said case as a consequence of his absence or for any negligence of the said Advocate (s) or his/their substitute;

And I/we the undersigned hereby agree that in the event of the whole or any part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate, remaining unpaid, he/they shall be entitled to withdraw from the prosecution of the case until same is paid. If any costs are allowed for an adjournment, the Advocate would be entitled to same.

IN WITNESS WHEREOF I/we do have unto set my/our hands to these presents the contents of which have been understood by me/us on this the 23rd day of July 2018.

....

HARIDWAR ROORKEE DEVELOPMENT AUTHORITY
CLIENT

ACCEPTED

ANKUR KHANDELWAL ADVOCATE	SANYA PANWANI ADVOCATE	HIMANSHU HANDA ADVOCATE
D/685/2011	D/4682/2017	D/3522/2018

NOTARY
नाम – RAM GOPAL AGARWAL
क्षेत्र – HARIDWAR
पंजी संख्या – 8475
GOVT OF INDIA